रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 803] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 1992/पौष 3, 1914
No. 803] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1992/PAUSA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1992

का. आ. 925 (अ):—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा "विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती होंगे।

[फा. सं. II/14034/2/92-आई.एस. (डी. 5)]
टी एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 1992

S.O. 925(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Justice Shri P.N. Nag, Judge of the Delhi High Court.

[F. No. II/14034/2/92-IS(D V)]

P.N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992